न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी :– श्री वीरेन्द्रसिंह यादव आर0ए0एस0
वाद सं0 27 / 16
निर्णय दिनांक 08.09.2018

1. श्रीमती गुल्लीदेवी पत्नि प्रभूराम जाति रैगर नि0 सिरसी नाडिया जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र भागीरथ
2. रामधन पुत्र भागीरथ
3. शंकरलाल पुत्र भागीरथ
   सगस्त जाति बलाई नि0 हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
4. तहसीलदार फुलेरा मु0 सांगरलेक जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0टी0ऐक्ट0

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की संयुक्त कब्जें काश्त की आराजी खं0नं0 707 रकबा 5 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 708 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 709 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 710 रकबा 2 विस्वा गै0मु0 चाह, खं0नं0 711 रकबा 9 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 712 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 713 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 745 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 746 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 747 रकबा 8 बीघा किता 10 कुल रकबा 46 बीघा 13 विस्वा वाकै ग्राम हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा मय मोटर पम्पिंग सेट सहित वादीया ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र के दिनांक 14.06.12 के क्रेता श्योजी पुत्र छिगना से क्रय किया था ओर क्रेता ने अपने उक्त हिस्सें पर वादीया को कब्जा सम्भंला दिया था तब से वादीया ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही है तथा वादीया के उक्त आराजीयात का नामान्तकरण भी तस्दीक हो चुका है तथा राजस्व रिकोर्ड में हिस्सें अनुसार अमल दरामद भी हो चुका है। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात् वादीया ने अपने उक्त 1/3 हिस्सें में पुख्ता एक कमरे का निर्माण भी किया है ओर उक्त कमरे व भूमि का वादीया उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा उक्त भूमि वादीया की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादीया का उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा है एंव उक्त भूमि का उपयोग उपभोग वादीया करती आ रही है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 वादीया की उक्त आराजीयात पर कब्जा करने की फिराक में रहते है ओर वादीया जो अक्सर अपने गांव रहती है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 वादीया की कब्जें काश्त की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करते रहते है ओर 1/3 जो कि राजकीय भूमि है उस पर भी कब्जा करने की आयेदिन प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 अनाधिकृत कब्जा करने की

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

फिराक में रहते है ओर राजकीय भूमि को अपनी भूमि में मिलानें की कोशिश करते रहे है ओर साथ ही वादीया को उसके कब्जें काश्त व खातदोरी व हिस्सें की भूमि से दखलदांजी करते रहते है। वादग्रस्त आराजी में वादीया का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 का 1/3 हिस्सा है जो इसी प्रकार काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आये है उक्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं हो रखा है परन्तु मौके के कब्जें काश्त के अनुसार वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीया ने कई बार प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 को मौके के कब्जें काश्त के अनुसार विधिक रूप से विभाजन करवानें की प्रार्थना की परन्तु मौके के कब्जें काश्त के अनुसार आजतक विभाजन नहीं हुआ है। जिससे वादीया को अपनी भूमि को उन्नत व विकसित करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 आयेदिन वादीया के मौके के कब्जें काश्त की भूमि में आयेदिन दखलदाजी करते रहते है तथा वादीया की फसल व मकानात को नुकसान पहुचातें है तथा वादीया का कुएं से सिंचाई नहीं करने देते है तथा वादीया के हिस्सें की भूमि से पेड़ पौधें को काटते है दिनांक 15.01.16 को वादीया का पुत्र व उसका सिरी वादीया के हिस्सें की भूमि की सार संभाल कर रहे थे तभी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 वादीया के हिस्सें की भूमि पर जबरन पत्थर डालने लगे ओर छड़ियों को काटकर ले जाने लगे जिस पर वादीया के पुत्र व सिरी ने इनको मना किया तो प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 झगड़ करने लगे ओर कहने लगे कि हम तुम्हारी इस जमीन से तुम्हें बेदखल कर देगे ओर इस पर मनचाही जगह कब्जा करेगे एंव बेचान करेगें इसलिए वादीया को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की ओर से वकील श्री गिरीशचन्द नागू ने यू0टी0 ली तथा प्रतिवादी सं0 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली दिनांक 19.05.17 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट में पेश हुयी वकील पक्षकारान ने वादीया का वाद मुताबिक अनुतोष के प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादीया का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना से पक्षकारान की सहमति व एक अन्य प्रकरण रामधन बनाम ुल्ली में रामधन का काउन्टर सुरक्षित रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बोन्डस के अनुसार ाथमिक डिक्री किया गया। इस प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार ुलेरा को पत्र क्रंमाक 1094 दिनांक 19.05.17 को लिखा गया था। जिस पर हसीलदार फुलेरा ने अपने पत्र क्रंमाक भू0अ0/17/3662 दिनांक 02.08.17 को नक्शें जात तैयार कर न्यायालय में दिनांक 04.08.17 को पेश किये जो उसी दिवस वली मे शामिल की किये गयें।

उप खण्ड अधिकारी
सौंभर लेक

Scanned by CamScanner

वकील पक्षकारान की बहस कुरेजात सुनी गयी। दौरानें बहस सरकार के हित का परीक्षण करने पर आराजीयात को रास्तों में दर्शाना ज्ञात होता है जबकि रास्ता खातेदारान की खातेदारी में ही शामिल होने चाहिए। राज्यहित के मध्यनजर पुनः परीक्षण कर पुनः संशोधित कुरेजात भिजवाने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की गयी। दिनांक 29.05.18 को तहसीलदार फुलेरा ने नक्शें कुरेजात पेश किये शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली दिनांक 08.09.18 को राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा मे पेश हुयी। पक्षकारान वकील उपस्थित होकर दिनांक 29.05.18 को पेश शुदा नक्शे कुरेजात अनुसार अन्तिम डिक्री हेतु सहमति दी। पत्रावली एंव नक्शें कुरेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादीया का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से मुताबिक नक्शें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीया का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से विभाजन मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाता है कि वाकै ग्राम हबसपुरा प0म0 हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 के आराजी खं0नं0 711 रकबा 8 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 745 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 746 रकबा 4 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 747 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 9 विस्वा का प्रभूदयाल, रामधन, शंकरलाल पि0 भागीरथ कौम बलाई सा0देह0 राहिन एस0बी0बी0जे0 बैंक शाखा फुलेरा मुर्तहीन को तथा खं0नं0 708 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 709 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 711 रकबा 16 विस्वा, खं0नं0 746 रकबा 14 विस्वा, खं0नं0 747 रकबा 6 बीघा 17 विस्वा किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 9 विस्वा का गुल्लीदेवी पत्नि प्रभूराम जाति रैगर सा0 सिरसी नाडिया जयपुर राहिन पी0एन0बी0 शाखा सांभरलेक मुर्तहीन को तथा खं0नं0 707 रकबा 5 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 712 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 713 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 13 विस्वा का सिंवाय चंक लगानी को तथा खं0नं0 710 रकबा 2 विस्वा का प्रभूदयाल, रामधन, शंकरलाल पि0 भागीरथ कौम बलाई सा0देह0 राहिन एस0बी0बी0जे0 शाखा फुलेरा मुर्तहीन, गुल्लीदेवी पत्नि प्रभूराम जाति रैगर सा0 सिरसी नाडिया जयपुर राहिन पी0एन0बी0 शाखा सांभरलेक मुर्तहीन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2018 को खुले राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा मे टंकण करीया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगर लेक मुकाम सांगर लेक

बइजलास श्री वीरेन्द्रसिंह यादव, आर0ए0एस0

गुल्लीदेवी बनाम प्रभूदयाल वगै0

वाद बाबत तकारामा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 27 / 16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री अरारार उस्मानी व हाजरी श्री गिरीशचन्द नांगू मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से विभाजन मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाता है कि वाकै ग्राम हबसपुरा प0म0 हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 के आराजी खं0नं0 711 रकबा 8 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 745 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 746 रकबा 4 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 747 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 9 विस्वा का प्रभूदयाल, रामधन, शंकरलाल पि0 भागीरथ कौम बलाई सा0दे0 राहिन एस0बी0बी0जे0 बैंक शाखा फुलेरा मुर्तहीन को तथा खं0नं0 708 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 709 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 711 रकबा 16 विस्वा, खं0नं0 746 रकबा 14 विस्वा, खं0नं0 747 रकबा 6 बीघा 17 विस्वा किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 9 विस्वा का गुल्लीदेवी पत्नि प्रभूराम जाति रैगर सा0 सिरसी नाडिया जयपुर राहिन पी0एन0बी0 शाखा सांगरलेक मुर्तहीन को तथा खं0नं0 707 रकबा 5 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 712 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 713 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 13 विस्वा का सिंवाय चंक लगानी को तथा खं0नं0 710 रकबा 2 विस्वा का प्रभूदयाल, रामधन, शंकरलाल पि0 भागीरथ कौम बलाई सा0दे0 राहिन एस0बी0बी0जे0 शाखा फुलेरा मुर्तहीन, गुल्लीदेवी पत्नि प्रभूराम जाति रैगर सा0 सिरसी नाडिया जयपुर राहिन पी0एन0बी0 शाखा सांगरलेक मुर्तहीन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निज ..... मुबलिग..... बावत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करें।

बसब्बे मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 09 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर ओहदा

दस्तखत उप खण्ड अधिकारी
सांगर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केम्प कोर्ट सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार शर्मा आर0ए0एस0

वाद सं0 27/16

1. श्रीमती गुल्लीदेवी पत्नि प्रभूराम जाति रैगर नि0 सिरसी नाडिया जयपुर राज0

वादी

वनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र भागीरथ
2. रामधन पुत्र भागीरथ
3. शंकरलाल पुत्र भागीरथ

समस्त जाति बलाई नि0 हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

4. तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0टी0ऐक्ट0

प्राथमिक डिक्री

दिनांक 19.05.17

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादीया व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 की संयुक्त कब्जें काश्त की आराजी खं0नं0 707 रकबा 5 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 708 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 709 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 710 रकबा 2 विस्वा गै0मु0 चाह, खं0नं0 711 रकबा 9 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 712 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 713 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 745 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 746 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 747 रकबा 8 बीघा किता 10 कुल रकबा 46 बीघा 13 विस्वा वाकै ग्राम हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा मय मोटर पम्पिंग सेट सहित वादीया ने जरिये रजि0 विक्रय पत्र के दिनांक 14.06.12 के क्रेता श्योजी पुत्र छिगना से क्रय किया था ओर क्रेता ने अपने उक्त हिस्सें पर वादीया को कब्जा सम्मंला दिया था तब से वादीया ही उक्त भूमि पर काविज काश्त चली आ रही है तथा वादीया के उक्त आराजीयात का नामान्तकरण भी तस्दीक हो चुका है तथा राजस्व रिकोर्ड में हिस्सें अनुसार अमल दरामद भी हो चुका है। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात् वादीया ने अपने उक्त 1/3 हिस्सें में पुख्ता एक कमरे का निर्माण भी किया है ओर उक्त कमरे व भूमि का वादीया उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा उक्त भूमि वादीया की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादीया का उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा है एंव उक्त भूमि का उपयोग उपभोग वादीया करती आ रही है। इसके बावजूद भी

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक (जयपुर)

Scanned by CamScanner